

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2369 / 2012 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त डी, जोधपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

मै. के.एस.ऑयल मिल्स लि.,
पावटा बी रोड, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री श्री.श्रीनिवास-अध्यक्ष

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री पी.एम.चौपड़ा
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : २१ / 11 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 37/सीएसटी/जेयूबी/10-11 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-अ, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु पारित आदेश दिनांक 19.07.2010 अन्तर्गत धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम 1956" कहा जायेगा) एवं धारा 23, 24 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) के तहत कायम की गई मांग में से कर राशि रु 53,86,231/- को विवादित करने पर अपील स्वीकार की जाकर कर अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
2. कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी के कर निर्धारण अवधि 2008-09 हेतु पारित आदेश दिनांक 19.07.2010 द्वारा कुल 1,48,27,676/- रु की मांग कायम की गई। इस में से सी फार्म अस्वीकृत से संबंधित विक्रय राशि 26,93,11,535/- रु पर कर राशि 53,86,231/- रु आरोपित किया गया।
3. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष कर राशि रु 53,86,231/- आरोपित करने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक

लगातार.....2

21

16

28.06.2012 द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया व विभाग द्वारा जांच के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों का पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं किया है तथा अन्तर्राज्जीय बिक्री सिद्ध करने का दायित्व व्यवसायी का है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों का न तो पूर्ण रूप से परीक्षण किया है व न ही इस विधिक बिन्दू पर ध्यान दिया है कि अन्तर्राज्जीय बिक्री सिद्ध करने का दायित्व व्यवसायी का है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है, अतः अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक व्यवसायी प्रत्यर्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा कथन किया गया कि व्यवसायी को घोषणा पत्र निरस्त करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है व न ही इस संबंध में कोई जांच की गई है। यदि क्रेता डीलर द्वारा अपने लेखों में तय किये गये माल का अंकन नहीं किया जाता है या विधिवत जारी सी फार्म निरस्त किये गये हैं तो इस आधार पर विक्रेता व्यवसायी पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। इन्होंने अपने समर्थन में Amrit Food Vs. Commissioner of Central Excise, reported at [(2005) 190 ELT 433 (SC)], Mahaveer Conductors Vs. Asstt. Commercial Taxes Officer, reported at [(1997) 104 STC 65, 70], Sri Durga Cement Co. Ltd., Vs. State of Bihar and others, reported at [(1999) 114 STC 268], Samagya Consultants Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Sales Tax, reported at [(2001) 122 STC 512], Ram Swarup Vs. Shikhar Chand, reported at [AIR 1996 SC 893], 78 STC 283 M/s Brajlal Banik V/s State of Tripura, Narayana chetty Vs. Income Tax Officer reported at [(1956) 35 ITR 388, Brahm Dutt Vs. Sales Tax Officer reported at 1958 TR 61], Steel Authority of India Ltd. Vs. STO Rourkela reported at [(2008) 22 Tax update 8], Vasant D. Bhasar Vs. Bar Council of India reported at [(1999) 1 SCC 45], Goyal Enterprises Vs. State of Jharkhand reported at [AIR 2008 SC 150], 21 TUD 60 (SC) Mauri Yeast India Pvt. Ltd. Vs. State of U.P. and Anr. के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने सी फार्म निरस्ती के आधार पर कर आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया व विभाग द्वारा जांच के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

लगातार.....3


21


21

9. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली अवधि 2008-09 की आदेशिका दिनांक 19.07.2010 के अनुसार व्यवसायी के वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण की जांच कर उनके द्वारा दिल्ली के सी फार्म मिथ्या पाये गये थे एवं उन्ही पार्टियों के फार्म इस वर्ष भी स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अवधि 2008-09 हेतु उन्हीं तथ्यों को आधार बनाया है जो इससे पूर्ववर्ती अवधि 2007-08 हेतु थे। वर्ष 2007-08 हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित तीन पत्रावलियों में से एक पत्रावली के पृष्ठ सं. 10 से 26 पर दिल्ली की फर्मों की टैक्स इन्फोरमेशन सिस्टम से डीलर्स की डीटेल प्राप्त की गई है जिसमें कुछ डीलर्स के संबंध में निरस्त की सूचना है। पृष्ठ सं. 67 से 93 पर ट्रेड एण्ड टैक्स डिपार्टमेंट नई दिल्ली द्वारा किये गये पत्र व्यवहार है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने टैक्स डिपार्टमेंट नई दिल्ली से किये गये पत्र व्यवहार या दिल्ली की फर्मों की टैक्स इन्फोरमेशन सिस्टम से प्राप्त डीलर्स की डीटेल पर न तो कोई विचार किया है न ही कोई विश्लेषण अपीलाधीन निर्णय में है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है जिससे निर्णय विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। विद्वान अभिभाषक व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Sri Durga Cement Co. Ltd., Vs. State of Bihar and others, reported at [(1999) 114 STC 268], Samagya Consultants Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Sales Tax, reported at [(2001) 122 STC 512], Ram Swarup Vs. Shikhar Chand, reported at [AIR 1996 SC 893] में यह ठहराया गया है कि व्यवसायी को विस्तृत नोटिस दिया जाना आवश्यक है व न्यायिक दृष्टांत Steel Authority of India Ltd. Vs. STO Rourkela reported at [(2008) 22 Tax update 8], Vasant D. Bhasar Vs. Bar Council of India reported at [(1999) 1 SCC 45], Goyal Enterprises Vs. State of Jharkhand reported at [AIR 2008 SC 150], में यह ठहराया गया है कि निर्णय विवेचना, विश्लेषण एवं कारणों सहित पारित किया जाना चाहिए। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी न तो सी फार्म निरस्ती के संबंध में विस्तृत नोटिस जारी किया है व न ही निर्णय में उन कारणों का उल्लेख है जिनके आधार पर व्यवसायी द्वारा किये गये संव्यवहार उचित नहीं माने है जिससे विधिसम्मत करारोपण नहीं माना जा सकता। साथ ही वर्ष 2007-08 से संबंधित प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, अतः यह प्रकरण भी इसी आधार पर प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। इस निष्कर्ष के आधार पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित योग्य है कि वे व्यवसायी को सी फार्म निरस्ती या इससे सम्बन्धित अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत नोटिस जारी करते हुये व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण सहित नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें।

10. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश सी फार्म निरस्ती से संबंधित टर्न ओवर पर आरोपित कर की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवसायी को सी फार्म निरस्ती या इससे सम्बन्धित अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत नोटिस जारी करते हुये व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त बिन्दू के संबंध में विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण सहित नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। कर निर्धारण अधिकारी का शेष आदेश यथावत रहेगा।

11. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष